# डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

## इजलास जगदीश आर्य आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 37/2018

रेशम सिंह पुत्र तारा सिंह जाति राय सिक्ख निवासी भोजपुर तहसील पहाडी वादी

बनाम

कश्मीर सिंह पुत्र बचन सिंह जाति राय सिक्ख निवासी भोजपुर तहसील पहाडी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ जगदीश आर्य आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रति0 X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 14/18/1.30 है0 बांके ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं मौंके की यथास्थिति बनाये रखे।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।

बतौर मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05. 12 सन् 2019 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा .....

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दालय | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा ..... | 2.00 | | स्टाम्प अरजीदावा ..... | | |
| स्टाम्प वकालतनामा ..... | 1.00 | | स्टाम्प वकालतनामा ..... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत ..... | 1.00 | | स्टाम्प वजह सबूत ..... | | |
| महनताना वकील )पर ..... | | | महनताना वकील )पर ..... | | |
| खर्चा गवाहान ..... | | | खर्चा गवाहान ..... | | |
| फीस कमिश्नर ..... | | | फीस कमिश्नर ..... | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा ..... | | | बबत इजराय हुक्मनामा ..... | | |
| मुतफर्रिक ..... | | | मुतफर्रिक ... | | |
| मीजान ..... | 4.00 | | मीजान ..... | | |

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी ( भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 37 / 2018

रेशम सिंह पुत्र तारा सिंह जाति राय सिक्ख निवासी भोजपुर तहसील पहाडी
वादी

बनाम

कश्मीर सिंह पुत्र बचन सिंह जाति राय सिक्ख निवासी भोजपुर तहसील पहाडी
प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 05.12.2019

## निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 14 / 18 / 1.30 है0 बांके ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन प्रतिवादी लठ्ठ व ताकत के बल पर वादी की खातेदारी की आराजी में नाजायज कब्जा कर ट्यूवबैल लगाना चाहता है। जिसकी बाबत ऐलानिया धमकी दिनांक 12.05.2018 को ग्राम भोजपुर में दी । अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त खातेदारी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं कब्जा नाजायज न करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उसके विरूद्ध दिनांक 11.04.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी मुत0 वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी से प्रतिवादी का कोई संबन्ध किसी प्रकार का नहीं है। फिर भी प्रतिवादी लठ्ठ व ताकत के बल पर वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करना चाहता है। प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं कब्जा नाजायज न करें व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया विवादित आराजी खसरा नं0 14/18/1.30 है0 बांके ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 14/18/1.30 है0 बांके ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं मौंके की यथास्थिति बनाये रखे। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जगदीश आर्य )
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned by CamScanner